



# NPS

# Vatsalya

## Scheme

A saving-cum-pension scheme regulated and administered by the PFRDA.

## Eligibility

All minor citizens (age till 18 years).

## Operations

- Account opened in the name of minor and operated by Guardian
- Minor to be sole beneficiary

## Where to open account

- NPS Vatsalya account can be opened through Points of Presence (POPs) which include major banks, India Post, Pension Funds etc.
- Online platform (e-NPS)

## Document required

- KYC of Guardian shall be carried out by submitting Proof of Identity and Address (Aadhaar, Driving License, Passport, Voter ID card, NREGA Job Card, National Population Register)
- PAN of the Guardian or Form 60 declaration (Rule 114B).
- Date of Birth proof of the Minor (Birth certificate, School leaving certificate, Matriculation Certificate, PAN, Passport)
- NRE / NRO Bank Account (solo or joint) of the minor in case the guardian is NRI

## Contribution

- **Account Opening contribution:** Min Rs. 1,000 /- and Max no limit.
- **Subsequent contribution:** Min. Rs. 1,000 /- p.a. and Max no limit.

## Pension Fund Selection

Guardian can choose any one of the Pension Fund registered with PFRDA.

## Investment Choices

- **Default Choice:** Moderate Life Cycle Fund -LC-50 (50% equity)
- **Auto Choice:** Guardian can choose Lifecycle Fund - Aggressive -LC-75 (75% equity), Moderate LC-50 (50% equity) or Conservative-LC-25 (25% equity)
- **Active Choice:** Guardian actively decides allocation of funds across Equity (upto 75%), Corporate Debt (upto 100%), Government Securities (upto 100%) and Alternate Asset (upto 5%)

## Withdrawal, exit and death

- Withdrawal up to 25% of contribution after lock-in-period of 3 years allowed for education, specified illness and disability. Max three times.
- Upon attainment of age of 18 years, Seamless shift to NPS Tier – I (All Citizen)
- Exit allowed on attainment of 18 years of age
  - **Corpus more than Rs. 2.5 lacs:** 80% corpus is utilized for purchase of annuity and 20% can be withdrawn as lump sum
  - **Corpus less than or equal to Rs. 2.5 lacs:** entire corpus can be withdrawn as a lumpsum.
- On death, entire corpus would be returned to the guardian.



Saurashtra Gramin Bank



# एनपीएस वात्सल्य

- योजना** पीएफआरडीए द्वारा विनियमित और प्रशासित बचत-सह-पेंशन योजना
- पात्रता** सभी अल्पवयस्क नागरिक (18 वर्ष तक की आयु वाले)
- संचालन**
- खाता अल्पवयस्क के नाम पर खोला जाएगा और अभिभावक द्वारा संचालित होगा।
  - अल्पवयस्क एकमात्र लाभार्थी होगा।
- खाता कहां खोलें**
- उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी) के माध्यम से, जिसमें प्रमुख बैंक, इंडिया पोस्ट, पेंशन फंड आदि शामिल हैं।
  - ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (ई-एनपीएस)
- आवश्यक दस्तावेज़**
- अभिभावक की केवाईसी की जाएगी, जिसके लिए पहचान और निवास का प्रमाण जमा करना होगा। (आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर)
  - अल्पवयस्क की जन्मतिथि का प्रमाण (जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र, पैन, पासपोर्ट)
  - अभिभावक का परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) या प्रपत्र-60 (नियम 114बी) घोषणा।
  - यदि अभिभावक एनआरआई/ओसीआई है, तो अल्पवयस्क का एनआरआई/एनआरओ बैंक खाता (एकल या संयुक्त)
- अंशदान**
- खाता खोलने के लिए अंशदान : न्यूनतम रु. 1,000/- और अधिकतम की कोई सीमा नहीं
  - बाद का अंशदान : न्यूनतम रु. 1,000/- प्रति वर्ष और अधिकतम की कोई सीमा नहीं
- पेंशन फंड का चयन** अभिभावक पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत पेंशन फंड में से किसी एक को चुन सकते हैं।
- इन्वेस्टमेंट विकल्प**
- डिफॉल्ट विकल्प : मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड - LC-50 (50% इक्विटी)
  - ऑटो विकल्प : अभिभावक लाइफ साइकिल फंड – एग्रेसिव एलसी-75 (75% इक्विटी), मॉडरेट एलसी-50 (50% इक्विटी) या कंजर्वेटिव एलसी-25 (25% इक्विटी) का चुनाव कर सकते हैं।
  - सक्रिय विकल्प : अभिभावक इक्विटी (75% तक), कॉर्पोरेट डेब्ट (100% तक), सरकारी प्रतिभूतियां (100% तक) और वैकल्पिक आस्तियां (5%) में सक्रिय रूप से धन के आवंटन का निर्णय ले सकते हैं।
- निकासी, प्रत्याहरण एवं मृत्यु**
- शिक्षा, विनिर्दिष्ट बीमारी और विकलांगता के लिए 3 वर्ष की लॉक-इन-अवधि के बाद अंशदान के 25% तक की राशि का अधिकतम तीन बार प्रत्याहरण किया जा सकेगा।
  - 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, एनपीएस टियर-1 (सर्व-नागरिक) में सीधे स्थानान्तरण
  - 18 वर्ष की आयु पूरा होने पर निकासी संभव :
    - संचित राशि 2.5 लाख से अधिक होने पर : संचित राशि का 80% वार्षिकी की खरीद के लिए उपयोग करना होगा और 20% एकमुश्त ली जा सकेगी।
    - संचित राशि 2.5 लाख के बराबर या उससे कम होने पर : पूरी संचित राशि एकमुश्त के रूप में निकाली जा सकेगी।
  - मृत्यु होने पर पूरा संचित राशि अभिभावक को लौटा दिया जाएगा।